भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1751

जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2024 को दिया जाना है।

.....

पंजाब में बाढ़

1751. श्री चरनजी सिंह चन्नी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने विगत पांच वर्षों के दौरान पंजाब में बाढ़ की स्थिति का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए;

(ख) क्या मंत्रालय का पंजाब में बाढ़ अथवा बाढ़ के प्रभाव को कम करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय के पास विगत पांच वर्षों के दौरान बाढ़ से प्रभावित लोगों के संबंध में कोई आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या मंत्रालय ने पंजाब में बाढ़ पीड़ितो को कोई मुआवजा दिया है औ यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जल शक्ति जमीन) (क) से
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) और (ख): वर्ष 1986 से 2022 तक उपग्रह चित्रों के आंकड़ों के आधार पर "भारत में बाढ़ के कारण प्रभावित क्षेत्र का आकलन" पर केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब में कुल 0.121 मिलियन हेक्टेयर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में आकलित किए गए हैं और केंद्र/राज्य सरकार द्वारा बाढ़ प्रबंधन की दिशा में उठाए गए विभिन्न कदमों के माध्यम से संरक्षित क्षेत्र 3.19 मिलियन हेक्टेयर है।

कटाव नियंत्रण सहित बाढ़ प्रबंधन का कार्य राज्यों के कार्यक्षेत्र में आता है। बाढ़ प्रबंधन और कटावरोधी स्कीमें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्र सरकार गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करके और संवर्धनात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

मंत्रालय के बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) के तहत, पंजाब सरकार की कुल छह बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं को वित्त पोषण के लिए शामिल किया गया है और मार्च 2024 तक 66.59 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

(ग) केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) में संकलित बाढ़ क्षति के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018 से 2022 तक पंजाब में बाढ़ से प्रभावित जनसंख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**वर्ष**	**प्रभावित जनसंख्या (मिलियन)**
1.	2018	रिपोर्ट नहीं की गई
2.	2019	0.08
3.	2020	0.08
4.	2021	0.02
5.	2022	रिपोर्ट नहीं की गई
	कुल	**0.18**

(घ) आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है। केन्द्र सरकार राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करती है और अपेक्षित लोजिस्टिक और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकार वर्षा और बाढ़ सहित 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई क्षति का आकलन करती है और भारत सरकार के अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार उनके निपटान पर पहले से रखी गई राज्य आपदा कार्रवाई निधि (एसडीआरएफ) से राहत सहायता प्रदान करती है। गंभीर प्रकृति की आपदा, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे पर आधारित मूल्यांकन भी शामिल है, के मामले में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

*****